>

Title: Need to take steps to protect cow progeny in the country.

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): सभापति जी, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण बिन्दु की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इस समय बारिश का मौसम है। यहाँ बैठे हुए सभी माननीय सांसदगण जानते हैं कि जब वे अपने संसदीय क्षेत्रों में सड़क रास्ते से जाते हैं तो सभी सड़कों पर बड़ी संख्या में गायें सड़कों पर बैठी मिल जाती हैं। परिणाम होता है कि जब वाहन तेज़ी से चलते हैं तो या तो वाहन चालकों की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या फिर गायों की मृत्यु हो जाती है।

हमारे देश में गायों को बहुत आदर दिया जाता है और भारतीय संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। गौमाता हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है और उसकी सुरक्षा एवं संवर्धन हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। गाय का गोबर घरों में पूजन के समय जहाँ लीपने के काम आता है, वहीं उपलों के रूप में ईधन की पूर्ति भी करता है। गाय का दूध सर्वाधिक पौष्टिक होता है, वहीं गोबर एवं गोमूत्र से बनने वाली खाद एवं कीटनाशक का प्रयोग करने से धरती अन्न और धन-धान्य से भर जाती है। गोधन राष्ट्रवर्द्धनं। गाय धरती के लिए वरदान है, गौदेवी संपदा है, गाय एवं गोवंश हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समृद्धि का प्रमुख आधार है। आज गोबर और गोमूत्र के उद्योगीकरण की आवश्यकता है। रासायनिक खादों और कीटनाशकों के अधिक प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो रही है, जल स्तर नीचे चला गया है, प्रदूषण की समस्याएँ पैदा हो गई हैं, जैविक खाद की आवश्यकता है। आज देश में कत्लखानों की संख्या निरंतर बढ़ रही है जिससे गोवंश की रक्षा का प्रश्न और गंभीर हो गया है। अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि गोवंश की रक्षा हेतु गोहत्या-निवारण कानून लाएँ, गौ-मांस का व्यापार और निर्यात पूर्णतया बंद हो, गाय को राष्ट्रीय प्राणी घोषित किया जाए, गाय एवं गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु अलग मंत्रालय बनाया जाए। जैविक खाद एवं कीटनाशकों के प्रयोग हेतु किसानों को प्रोत्साहन दिया जाए।